Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)

[Anganbari Revision Case No.-55/2022]

Kajal Kumari.....Petitioner.

Versus

The State of Bihar and Other .....Opposite Parties.

Sl. No.	Date of order of Proceeding	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	16.2.2026	**आदेश** यह आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल द्वारा आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या-21/2021 में दिनांक-23.3.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गयी। LCR प्राप्त है। दिनांक-31.1.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदिका का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी संख्या-04 नूतन कुमारी की ओर से जवाब दाखिल है। Petitioner का अभिकथन है कि प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र के सेविका चयन हेतु मेधा सूची के प्रकाशन के उपरान्त दिनांक-30.12.2020 को आहूत आम सभा में सभी अपेक्षित अर्हता को सही पाकर एवं मेधा सूची क्रमांक-01 पर नाम रहने के आधार पर सर्वसम्मति से Petitioner का चयन किया गया। एवं चयन पत्र निर्गत किया गया। विपक्षी नूतन कुमारी द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बसंतपुर के समक्ष Petitioner का शैक्षणिक प्रमाण-पत्र फर्जी होने के संबंध में परिवाद दायर किया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बसंतपुर द्वारा अपीलार्थी के प्रमाण-पत्र की सत्यता की जाँच हेतु बोर्ड को पत्र भेजा गया। तथा निदेशालय के पत्रांक-145 दिनांक-08.1.2021 के आलोक में केन्द्र को क्रियाशील रखा गया। बोर्ड से Petitioner के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण उनके चयन को यथावत रखा गया। विपक्षी नूतन कुमारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल के न्यायालय में Petitioner के चयन के विरूद्ध आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या-21/2021 दायर किया गया। उक्त वाद की सुनवाई के दौरान Petitioner के द्वारा स्वयं अपने तथा विपक्षी के प्रमाण-पत्र की जाँच हेतु निवेदन किये जाने पर Petitioner तथा विपक्षी का प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु भेजा गया। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना के द्वारा Petitioner के प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र में प्राप्तांक एवं श्रेणी में भिन्नता प्रतिवेदित किया गया। जबकि विपक्षी नूतन कुमारी के प्रामण-पत्र के सत्यापन के प्रतिवेदन में OK दर्शाया गया। दोनों ही जाँच प्रतिवेदन भ्रामक एवं असंतोषप्रद होने के संबंध में Petitioner के द्वारा आपत्ति दर्ज कराया गया। बावजूद इसके जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल द्वारा Petitioner के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र को अमान्य करार देते हुए उन्हें सेविका पद से चयन मुक्त कर दिया गया। तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बसंतपुर को Petitioner के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश देते हुए विपक्षी नूतन कुमारी को सेविका पद पर चयन करने हेतु निर्देश दिया गया। Petitioner का कहना है कि सत्यापन रिपोर्ट में मात्र यह दर्शाया गया है कि प्रामण-पत्र एवं अंक-पत्र के प्राप्तांक के श्रेणी में भिन्नता है। किन्तु यह नहीं दर्शाया गया है कि प्रमाण-पत्र फर्जी है। उनका यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षी के प्रभाव में आकर विधिवत रूप से किये गये चयन को एक भ्रामक रिपोर्ट के आधार पर रद्द कर दिया गया है, जो सर्वथा अनुचित है। तथा उक्त आदेश को खंडित करते हुए Petitioner के विधिवत सेविका पद पर किये गये चयन को संपुष्ट करने का अनुरोध किया गया है।	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा

16.2.2026

विपक्षी का कहना है कि उनके द्वारा आम सभा में काजल कुमारी के अंक-पत्र जाली होने के संबंध में आपत्ति की गयी किन्तु अध्यक्ष -सह- अंचल अधिकारी, बसंतपुर द्वारा उनके आपत्ति को अमान्य मानकर अवैधानिक रूप से काजल कुमारी को चयन पत्र हस्तगत कराया गया। काजल कुमारी के वर्ष 2014 के मध्यमा के अंक-पत्र में उन्हें 75.85 प्रतिशत अंक तथा जन्मतिथि 01.3.1987 अंकित है। जबकि इस विज्ञापन से पूर्व ही वर्ष 2007 में इसी पद हेतु काजल कुमारी द्वारा समर्पित आवेदन में मैट्रिक का प्राप्तांक 45.75 प्रतिशत तथा जन्मतिथि 15.8.1997 ई. दर्शाया गया है। उनका यह भी कहना है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बसंतपुर के द्वारा रतनपुरा थाना कांड संख्या-22/2022, धारा-420, 467, 468, 471, 120(बी.) भा.द.वि. दर्ज कराया गया है। एवं अनुसंधान पूर्ण होने पर आरोप पत्र संख्या-42/2023 अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, वीरपुर के न्यायालय में समर्पित किया गया है। कजल कुमारी को मध्यमा में कुल-404 अंक प्राप्त है। एवं प्रतिशत 57.71 है। जबकि उनके द्वारा प्रस्तुत अंक-पत्र में 75 प्रतिशत दर्शाया गया है। काजल कुमारी का मध्यमिक स्तर पर 02 जन्मतिथि होना उनकी पात्रता को संशय प्रदान करता है। उक्त के आलोक में उनके द्वारा इस पुनरीक्षण वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों तथा LCR के अवलोकनोपरान्त यह स्थिति दृष्टिगत है कि काजल कुमारी का चयन उनके द्वारा दाखिल बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना के प्रमाण-पत्र सं.-C/323437 (पंजीयन सं.-MAD-01970-14) का अंक पत्र क्रम सं.-M/125291 में 75.85 प्रतिशत अंक रहने के आधार पर किया गया है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना के पत्रांक-925 दिनांक-13.8.2021 में अंकित है कि प्रमाण-पत्र (सं.-C/323437) एवं अंक पत्र (सं.-M/125291) में प्राप्तांक एवं श्रेणी में भिन्नता है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि Petitioner काजल कुमारी द्वारा अपने आवेदन के साथ दाखिल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र Valid नहीं है। अपीलार्थी की ओर से सुनवाई में अपने प्रमाण-पत्र के Invalid होने के आरोप को Negate करने हेतु कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। एवं तदनुसार Invalid प्रमाण-पत्र के आधार पर हुआ चयन विधिसम्मत नहीं है।

अतः इस पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

16/2/26.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।

16/2/26.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल सहरसा।